

36623 पत्रावली पेच हुई। अधिकता आवाजी के 4, 5, 6 उपस्थित। राजकीय अधिकता उपस्थित। अधिकता आवाजी के बार-बार आवाज लगाव गई। किन्तु उपस्थित नहीं हुए। वरन् हेतु अक्षर दिया। आंश पत्रावली दिनांक 03-7-23 को पेश की।

जिला कलक्टर  
दोसा

03-7-23 पत्रावली पेच हुई। अधिकता आवाजी के 4, 5, 6 उपस्थित। राजकीय अधिकता उपस्थित। अधिकता आवाजी एवं आवाजी के बार-बार आवाज लगाव गई। किन्तु अधिकता आवाजी अथवा आवाजी में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। गत पेची दिनांक के भी अधिकता आवाजी उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में प्राचीन पत्र को आगे चलाये जाने का आदेश नहीं है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पंचवार में विचाराधीन मुं. नं. 126/2015 दावा उद्घोषणा एवं स्वाई निषेधाज्ञा उनवानी कीरीदेकी बनाम श्योपाल को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु आवाजी कीरीदेकी पार्टी अजदीय मीना निवासी रामगढ़ पंचवार द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानांतरण अदम धाजरी एवं अदम पेची में खारिज किया जाता है। प्रार्थना की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पंचवार को भिजवाई जावे। पत्रावली फिलहाल सुभार की आंश नम्बर सू. क्रम है एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अथवा गण्डार की जावे। निवेदन आज दिनांक 03-7-2023 को मेरे हाथ खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्दिष्ट प्र. 981  
6-7-2023



Web copy - Not Official